# LALITPUR POLICE

**प्रेस नोट**

**दिनांक- 20.05.2025**

**कोतवाली पुलिस व एसओजी/सर्विलांस, ललितपुर की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले प्रकरण में वांछित 01 नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया घायल/गिरफ्तार व अन्य 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

**अभियुक्त मल्लू के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर , एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद अवैध खोखा कारतूस किये गये बरामद।**

**अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद सफेद धातु की कमर पेटी, दो अदद सफेद धातु की पायलें, दो अदद पीली धातु के कानों के टाप्स व एक अदद पीली धातु का गले का हार (अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रूपये) को किया गया बरामद।**

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर, श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस व स्वाट/ सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 573/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS में वांछित अभियुक्त मल्लू उर्फ मलखान कुशवाहा पुत्र नाथूराम उर्फ नत्तू कुशवाहा उम्र - 40 वर्ष निवासी खिरिया लटकन्जू थाना महरौनी जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे अभियुक्त रौली उर्फ प्रताप उर्फ प्रहलाद रजक पुत्र कल्लू रजक उम्र 24 वर्ष निवासी ढुरा बाजार रावतयाना थाना कोतवाली जनपद ललितपुर को नियमानुसार मौके से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 18.05.2025 को वादी मुकदमा का टैक्सी में रखा थैला, अभियुक्तगण द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। तहरीर के आधार पर कोतवाली ललितपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी थी।

थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर, सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 04 पुलिस टीमे जिसमें थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस, स्वाट/सर्विलांस टीम व अन्य थानों की पुलिस को लगाया गया था। जिसमें जनपद के लगभग सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गयी व कैमरों को कई कि0मी0 के दायरों तक देखा गया। सीसीटीवी कैमरों/सर्विलांस व अन्य धरातलीय सूचना की मदद से घटना कारित करने वाले अभियुक्त मल्लू उर्फ मलखान को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 01 नफर अभियुक्त रौली उपरोक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

**पुलिस मुठभेड़ का विवरण-** आज दिनांक 20.05.2025 को थाना कोतवाली पुलिस /सर्विलांस /एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के ग्राम बिरारी में रेलेव लाईन के किनारे स्थित पहाड़ी के ऊपर मन्दिर के पास होने की सूचना प्राप्त हुयी थी। इस सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो पेड़ के नीचे दो व्यक्ति बैठे हुए व बाते करते हुए दिखायी दिये। जब पुलिस टीम ने उनको घेरने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को अचानक पास आता देखकर वह लोग खड़े होकर भागने लगे जिन्हे पुलिस द्वारा रूकने कि लिये कहा गया तो उनके पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ,प्रशिक्षण में सिखलायी गयी टैक्टिस का प्रयोग करते हुये जबाबी फायरिंग की गयी जिसमें 01 अभियुक्त मल्लू उर्फ मलखान कुशवाहा पुत्र नाथूराम उर्फ नत्तू कुशवाहा उम्र - 40 वर्ष निवासी खिरिया लटकन्जू थाना महरौनी जनपद ललितपुर उपरोक्त के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही जमीन पर गिर गया था जिसे पुलिस द्वारा नियमानुसार हिरासत में लेकर, गोली लगने से घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल,ललितपुर भेजा गया था तथा अन्य अभियुक्त रौली उर्फ प्रताप उपरोक्त को मौके पर ही नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद सफेद धातु की कमर पेटी, दो अदद सफेद धातु की पायलें, दो अदद पीली धातु

के कानों के टाप्स व एक अदद पीली धातु का गले का हार को बरामद किया गया तथा अभियुक्त मल्लू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर , एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद अवैध खोखा कारतूस बरामद किये गये।

**<u>पूछताछ का विवरण-</u>** अभियुक्तों से पूछताछ करने पर, अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि साहब हम लोगो का एक गिरोह है। हम लोग सीधे -सादे लोगो को टारगेट करते हैं तथा मौका पाकर उनके सामान, गहने, रूपये आदि की चोरी कर लेते हैं। हम लोगो ने अभी कुछ दिन पहले आजादचौक ललितपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को टारगेट किया था जो वहाँ पर एक दुकान से जेवरात लेकर टैम्पो से बैठकर कहीं जा रहा था, उसी टैम्पो में मैं व रौली भी बैठ गये थे और हमारा एक अन्य साथी मोटरसाईकिल से टैम्पो के पीछे- पीछे आ रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति को हल्की नींद की झपकी में देखकर बिरधा से थोडा पहले हम दोनों ने मौका पाकर उसका जेवरात का थैला चुरा लिया था और उस टैम्पो से नीचे उतरकर हम दोनों पीछे आ रहे अपने साथी के साथ मो0सा0 पर बैठकर भाग गये थे। आज हम लोग जेवरात बाँटने के लिए यहाँ पर आये थे कि तभी आप लोग अचानक यहां पर आ गये। आप पुलिस बालो को देखकर पकड़े जाने के डर से हम लोग भागने लगे। जब आपने हम लोगो को रूकने के लिये कहा तो पकडे जाने के डर से मैने (मल्लू) पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में मेरे पैर में गोली लग गई थी और मैं घायल होकर जमीन पर गिर गया था। पुलिस टीम द्वारा मुझे पकडकर उपचार हेतु जिला अस्पताल ललितपुर, भिजवाया गया तथा मेरे साथी रौली को भी आप लोगो ने मौके पर ही पकड़ लिया। साहब हमसे गलती हो गयी, मांफ कर दीजिए।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>**

1.मल्लू उर्फ मलखान कुशवाहा पुत्र नाथूराम उर्फ नत्तू कुशवाहा उम्र - 40 वर्ष निवासी खिरिया लटकन्जू थाना महरौनी जनपद ललितपुर।

2. रौली उर्फ प्रताप उर्फ प्रहलाद रजक पुत्र कल्लू रजक उम्र 24 वर्ष निवासी ढुरा बाजार रावतयाना थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

**<u>बरामदगी का विवरण-</u>**

1-अभियुक्त मल्लू के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर , एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद अवैध खोखा कारतूस किये गये बरामद।

2. अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद सफेद धातु की कमर पेटी, दो अदद सफेद धातु की पायलें, दो अदद पीली धातु के कानों के टाप्स व एक अदद पीली धातु का गले का हार (अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रूपये) को किया गया बरामद।

**<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>**

1.श्री अजय कुमार क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर।

2.श्री रमेशचन्द्र मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय टीम।

3. उ0नि0 श्री अतुल तिवारी, एसओजी टीम ललितपुर मय टीम।

4. उ0नि0 श्री अरुण पवार, सर्विलांस सेल मय टीम।

5.उ0नि0 श्री अनुराग शर्मा, प्रभारी चौकी गोविन्द सागर बांध थाना कोतवाली ललितपुर।

**नोट-** पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रूपये के नगद पुरस्कार से पुरष्कृत किया जायेगा।